भारतीय रिज़र्व बैंक

------------RESERVE BANK OF INDIA------------

www.rbi.org.in

भारिबैं / 2013-14/ 83

ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी. सं. 2 /09.10.01/2013-14 **1 जुलाई 2013**

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय,

मास्टर परिपत्र - अल्प संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं

कृपया आप 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं. 2 / 09.10.01/ 2012-13 देखें जिसमें अल्प संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाओं के संबंध में बैंकों को जारी अनुदेश / दिशानिर्देश / निर्देश संकलित किए गए हैं। उक्त मास्टर परिपत्र 30 जून 2013 तक जारी अनुदेशों को समाविष्ट करते हुए यथोचित रूप से संशोधित किया गया है और इसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी डाला गया है। उक्त मास्टर परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

भवदीया

(माधवी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग,केंद्रीय कार्यालय, 10वीं मंज़िल,केंद्रीय कार्यालय बिल्डिंग,शहीद भगत सिंह मार्ग,पो.बा.सं.10014,मुंबई 400 001
टेलीफोन:Tel No.: 022-22610261/ फैक्स: 022-22610943 ईमेल: audgata@rbi.org.in

Rural Planning & Credit Department,Central Office,10th Floor,Central Office Building,Shahid Bhagat Singh Marg,P.Box No.10014, Mumbai 400 001

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

चेतावनी: -मेल रिज़र्व बैंक द्वारा डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।
Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

विषय -सूची

क्रम सं.	ब्योरा
अनुबंध - I	समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम की तुलना में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को प्रदान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम दर्शाने वाला अर्ध-वार्षिक विवरण का प्रारुप
अनुबंध -II	अल्पसंख्यक संकेंद्रित जिलों की सूची
अनुबंध - III	पहचाने गए जिलों में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम की तुलना में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को प्रदान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम दर्शाने वाला अर्ध-वार्षिक विवरण का प्रारुप
अनुबंध - IV	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्र की सूची

मास्टर परिपत्र

1. अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और 20 तथा उससे अधिक शाखाओंवाले विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च को विद्यमान समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्र से इतर एक्सपोजरों (ओबीई) की ऋण समकक्ष राशि इनमें से जो भी अधिक हो, के 40 प्रतिशत का लक्ष्य अधिदेशात्मक कर दिया गया है। कमजोर वर्गों, जिनमें अन्यों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति शामिल हैं को उधार देने के लिए इसके भीतर ही, पिछले वर्ष 31 मार्च को विद्यमान एएनबीसी अथवा ओबीई की ऋण समकक्ष राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, के 10 प्रतिशत का लक्ष्य अधिदेशात्मक कर दिया गया है।

भारत सरकार ने इस बारे में सावधानी बरतने का उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार प्रायोजित विभिन्न विशेष योजनाओं द्वारा मिलने वाले लाभ सही और पर्याप्त मात्रा में प्रदान किये जाते हैं । सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध होता है ।

2. अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा

2.1 निम्नलिखित समुदायों को भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रुप में अधिसूचित किया गया है :

(क) सिख
(ख) मुस्लिम
(ग) इसाई
(घ) झोरास्ट्रियन
(ङ) बुद्धिस्ट

3. विशेष कक्ष की स्थापना और पूर्णतया उसके लिए नामित अधिकारी

3.1 प्रत्येक बैंक में एक विशेष कक्ष की स्थापना की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण आसानी से उपलब्ध होता रहे और इस कक्ष का मुख्य अधिकारी

उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या कोई अन्य समश्रेणी का होगा, जो 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करेगा ।

3.2 प्रत्येक अल्पसंख्यक बहुल जिले के अग्रणी बैंक में एक अधिकारी होगा जो पूर्णतया अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित समस्याओं की ही जांच करेगा। बैंक ऋण के विविध कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार अल्पसंख्यक समुदायों के बीच करना और उनके लाभ हेतु शाखा प्रबंधकों के सहयोग से उपयुक्त योजनाएं बनाना उसका उत्तरदायित्व होगा।

3.3 भारत सरकार ने उन राज्यों को छोड़कर जहां अल्पसंख्यक मेजोरिटी में है (जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप) उन 121 अल्पसंख्यक सकेंद्रित जिलों की सूची भेजी है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है । तदनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को हमारे दिनांक 16 जुलाई 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 13/ 09.10.01/2007-08 द्वारा यह सूचित किया गया है कि वे उन 103 जिलों जिनकी निगरानी अब तक की जा रही थी के बजाए इन 121 जिलों के अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्धता की विशेष रूप से निगरानी करें और उसके द्वारा यह सुनिश्चित करें कि <u>अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संपूर्ण लक्ष्य के अंदर ऋण का उचित और बराबर का हिस्सा प्राप्त होता है</u> (अल्पसंख्यक सकेंद्रित जिलों की अद्यतन सूची <u>अनुबंध II</u> में दी गई है)।

3.4 नामित अधिकारी संबंधित जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय की ऋण सहायता से संबंधित पहलुओं पर ही ध्यान देगा और वह जिले स्तर पर स्थापित अग्रणी बैंक से संबद्ध होगा। इस प्रकार, वह अग्रणी बैंक अधिकारी से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा। अग्रणी बैंक अधिकारी काफी वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होगा जिसे अन्य क्रेडिट संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से संपर्क करने का पर्याप्त अनुभव होगा। वह जिले के अन्य बैंकों के शाखा प्रबंधकों के घनिष्ठ सहयोग के साथ काम भी करता रहा होगा। नामित अधिकारी अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए यथोचित योजनाएं तैयार करने में उनके मार्गदर्शन के लिए बैठकें आयोजित करने की भी व्यवस्था करेगा। संबंधित बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि नामित अधिकारी को सौंपी गई भूमिका कारगर रूप से सफल होती है ।

3.5 जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के समन्वयक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक समुदायों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जाते हैं और इस संबंध में की गयी प्रगति की उनकी बैठकों में नियमित रुप से समीक्षा की जाती है ।

3.6 जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति/राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठकें/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक बैंक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों के

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों को या उनके प्रतिनिधियों को राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी), राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठक (एसएलआरएम) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकते हैं ।

3.7 (i) मुख्य कार्यालय के विशेष कक्ष के प्रभारी अधिकारी और ii) चयनित जिलों में केवल अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं के संबंध में कार्रवाई करने वाले अग्रणी बैंकों द्वारा नियुक्त अधिकारियों के नाम, पदनाम और पते अल्पसंख्यकों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग को बैंकों द्वारा निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किये जाएं और आवधिक रुप से अद्यतन किये जाएं :

सचिव
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
भारत सरकार
लोक नायक भवन
5वीं मंज़िल,खान मार्केट
नई दिल्ली 110003

संबंधित पत्राचार की प्रतिलिपि ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को भी प्रस्तुत की जाए ।

3.8 अल्पसंख्यक समुदाय सकेंद्रित वाले चयनित जिलों में अग्रणी बैंक जागरुकता उत्पन्न करने, हिताधिकारियों की पहचान करने, अर्थक्षम योजनाएँ तैयार करने, विपणन और विनिर्माण सुविधाएँ उपलब्ध कराने यथा निविष्टियों की आपूर्ति/विपणन वसूली आदि सहित अतिरिक्त कार्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग/वित्त निगम को सम्मिलित कर सकते हैं ।

3.9 अग्रणी बैंक चयनित जिलों में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों/गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेकर सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों तक पहुंच सकते हैं । अल्पसंख्यक जाति बहुल जिलों के अग्रणी बैंकों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक जातियों की, विशेष रूप से उनकी, जो गरीब और अशिक्षित हैं, उत्पादक कार्यकलाप करने के लिए बैंक ऋणों तक पहँच हो, उनसे प्रत्याशित सायास भूमिका अदा करनी होगी।

4 <u>विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अग्रिम</u>

अजा / अजजा विकास निगमों को जिन शर्तों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं, बैंक उन्हीं शर्तों पर विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत राज्य अल्पसंख्यक वित्त / विकास निगम को ऋण प्रदान

कर सकते हैं, बशर्ते निगमों के हिताधिकारी पात्रता संबंधी मानदंडों तथा योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करते हों ।

5. <u>निगरानी</u>

5.1 विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों के कार्य निष्पादन की निगरानी के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण सहायता के आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय को प्रतिवर्ष मार्च और सितंबर के अन्तिम शुक्रवार को छमाही आधार पर भेजे जाने चाहिए । विवरण (अनुबंध I में दिया गया) प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में पहुँच जाना चाहिए ।

5.2 भागीदारी फर्म के मामले में, यदि भागीदारों में से अधिकांश विशिष्ट समुदायों से संबंधित हैं तो, ऐसी भागीदारी फर्मों को दिए गए अग्रिम को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों में गिना जाना चाहिए तथा उसे तदनुसार निर्धारित विवरण में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि किसी कम्पनी का कानूनी रुप से पृथक अस्तिव है, तो उसे दिए गए अग्रिमों को निर्धारित अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों के रुप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता ।

5.3 चयनित जिलों में जिला परामर्शदात्री समितियों के आयोजक बैंकों को संबंधित तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अग्रणी उत्तरदायित्व के अन्तर्गत जिले के लिए निर्धारित फार्मेट में (<u>अनुबंध III</u> में) उनके द्वारा संकलित बैंकों द्वारा निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को स्वीकृत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के आँकड़े प्रस्तुत करने चाहिए । पहचाने गए जिलों के नाम तथा ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों जिनको अग्रणी बैंक द्वारा विवरण प्रस्तुत किया जाना है, की सूची <u>अनुबंध II</u> में संलग्न है ।

5.4 अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में हुई प्रगति की नियमित रुप से समीक्षा जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) में होनी चाहिए ।

5.5 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों को संबंधित जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) की कार्यसूची का सार और बैठकों का कार्यवृत्त वित्त मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय को उनके प्रयोग के लिए तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए ।

6. <u>प्रशिक्षण</u>

6.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक स्टाफ और अन्य अधिकारी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को उचित प्रकार से समझते हैं, पदाधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए बैंकों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, प्रारंभिक पाठ्यक्रम , ग्रामीण उधार पर कार्यक्रम, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम इत्यादि से संबंधित सत्रों को सम्मिलित करना चाहिए ।

6.2 चयनित ज़िलों में कार्यरत अग्रणी बैंकों को उद्‌यमिता विकास कार्यक्रम आयोजितकरने चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य बैंकों द्‌वारा वित्तपोषित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें । इन जिलों की जनता के बड़े भाग द्‌वारा किए जा रहे बड़े व्यवसाय अथवा गतिविधि के आधार पर राज्य सरकारों, उद्‌योग विभाग, जिला उद्‌योग केन्द्र, लघु उद्‌योग विकास बैंक, राज्य तकनीकी परामर्शदाता संगठन, खादी और ग्रामोद्‌योग आयोग तथा अन्य संगठनों, जो ऐसे प्रशिक्षण और ओरियंटेशन देने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं, के सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए । कार्यक्रम की अवधि, कार्यक्रम की विषयवस्तु और संकाय सदस्यों का चयन इत्यादि से संबंधित निर्णय प्रत्येक अग्रणी बैंक द्‌वारा जिले में जनता की तात्कालिक स्थितियों, वर्तमान कौशल और आवश्यकता के साथ-साथ योग्यता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए ।

6.3 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों द्‌वारा इन जिलों में पदापित स्टाफ को विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से प्रबोधित और प्रोत्साहित करना चाहिए ।

6.4 अग्रणी बैंक नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों की सहायता से स्वयं सहायता समूहों को व्यष्टि ऋण/उधार देने के संबंध में बैंक के पदाधिकारियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन करें ।

7. <u>प्रचार</u>

7.1 सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले स्थानों तथा विशेष रुप से <u>अनुबंध II</u> में सूचीबध्द जिलों में होना चाहिए जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी मात्रा में हैं ।

7.2 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों को अल्पसंख्यक समुदायों के बीच बैंकों से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने के उचित उपायों का प्रचार-प्रसार करना चाहिए ; यथा i) प्रिंट मीडिया अर्थात स्थानीय भाषाओं में पेंप्लेटों का वितरण, समाचार पत्रों में विज्ञापन/लेख इत्यादि ii) टी.वी.चैनल - दूरदर्शन/स्थानीय चैनल iii) इन समुदायों द्वारा धार्मिक/त्यौहारों के अवसरों पर आयोजित मेलों में सहभागी होना/स्टॉल लगाना ।

8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

8.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के बीच आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों के विकास हेतु सितम्बर 1994 में की गई । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम एक शिखर संस्था के रुप में कार्य करता है तथा संबंधित राज्य/संघ शासित
सरकारों के राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से हिताधिकारियों को राशि उपलब्ध कराता है ।

8.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के साथ-साथ मार्जिन मनी योजना जो परियोजना लागत के 60% तक बैंक वित्त से जुड़ी हुई है, परिचालित है । परियोजना लागत की शेष राशि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसी और हिताधिकारी द्वारा क्रमशः 25%, 10%, और 5% के अनुपात में वहन की जाएगी । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा आरंभ की गई मार्जिन मनी योजना का कार्यान्वयन बैंकों द्वारा किया जाएगा । बैंक वित्त प्रदान करते समय बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना होगा । यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋण की राशि से सृजित आस्तियाँ बैंक के पास बंधक/गिरवी रखी जाएंगी । बैंकों द्वारा की गई वसूली में से पहले बैंक को देय राशि की वसूली की जाएगी ।

9. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम

भारत सरकार ने अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए "प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम" को संशोधित किया है । उक्त कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार का यथोचित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों को देने का लक्ष्य रखा जाए और यह भी कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के विभिन्न लाभ, सुविधाओं से वंचित लोगों तक पहुंचते हैं जिनमें अल्प संख्यक समुदायों के सुविधाहीन वर्ग भी शामिल हों । यह नया कार्यक्रम केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों के जरिए कार्यान्वित किया जाना है और यह अल्प संख्यक सकेंद्रित जिलों में विकास परियोजनाओं के विशिष्ट अनुपात की स्थिति दर्शाता है । तदनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को हमारे दिनांक 1 सितंबर 2006 के परिपत्र

ग्राआऋवि.एसपी.22/09.10.01/2006-07 द्‌वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के समस्त लक्ष्यों और कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत के उपलक्ष्य के अंदर अल्प संख्यक समुदायों को भी ऋण का उचित हिस्सा प्राप्त होता है। अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जिला ऋण योजना तैयार करते समय इस आवश्यकता को ध्यान में रखें ।

अनुबंध I

----------------को समाप्त छिमाही के लिए समस्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की तुलना में
निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को स्वीकृत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को
अग्रिम दर्शानेवाला विवरण

(पैराग्राफ 5.1 के अनुसार)

(खातों की संख्या - वास्तविक)

(राशि लाख रुपयों में)

बैंक का नाम --- बैंक कोड --------------------------

भाग 'ए' - चुने गए जिलों के लिए

सं.	जिला	कूट सं.	ईसाई (10)		मुस्लिम (20)		बुध्दिस्ट (30)		सिख (40)		झोरास्ट्रियन (50)		कुल 'ए'		अन्य 'बी' (90)		चयनित जिलों इ' में कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम (99)	
			खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
अंदमान																		
1.	निकोबार	195																
2.	अंदमान	194																
	आंध्र प्रदेश																	
3.	हैदराबाद	800																
	अरुणाचल प्रदेश																	
4.	तवांग	099																
5.	चांगलांग	400																
6.	तिरप	098																

7.	वेस्ट कमेंग	090																
8.	परमपाड़ा	401																
9.	लोअर सुबंसिरी	095																
10.	ईस्ट कमेंग	091																
	असम																	
11.	धुब्री	019																
12.	ग्वालपाडा	003																
13.	बरपेटा	021																
14.	हलाकंडी	004																
15.	करीमगंज	017																
16.	नगांव	014																
17.	मारीगांव	005																
18.	दरांग	007																
19.	बोंगईगांव	002																
20.	कचार	022																
21.	कोक्राझार	020																
22.	नॉर्थ कचार हिल्स	018																
23.	कामरुप	001																
	बिहार																	
24.	किशनगंज	049																
25.	कटीहार	071																
26.	अररिया	083																
27.	पुर्णिया	078																
28.	सीतामढ़ी	050																
29.	दरभंगा	074																
30.	पश्चिम चंपारन	064																
	दिल्ली																	
31.	सेंट्रल																	

32.	नॉर्थ-ईस्ट																	
	गोवा																	
33.	साउथ गोवा	692																
	हरियाणा																	
34.	गुड़गांव	350																
35.	सिरसा	352																
	हिमाचल प्रदेश																	
36.	लाहुल और स्पेति	474																
37.	किन्नौर	476																
	जम्मू और कश्मीर																	
38.	लेह(लडाख)	458																
	झारखंड																	
39.	पकौर	069																
40.	साहिबगंज	039																
41.	गुमला	043																
42.	रांची	087																
	कर्नाटक																	
43.	दक्षिण कन्नड	880																
44.	बिदर	866																
45.	गुलबर्गा	864																
	केरल																	
46.	मलप्पुरम	983																
47.	एरनाकुलम	970																
48.	कोट्टायम	968																
49.	इडुक्की	976																
50.	वैनाड	988																
51.	पथानमथिट्टा	978																
52.	काझीकोड	980																
53.	कसारागोड	989																

54.	त्रिशुर	972																
55.	कन्नुर	985																
56.	कोलम	963																
57.	तिरुवनंतपुरम	960																
58.	पालक्काड	974																
59.	अलप्पुझा	966																
	मध्य प्रदेश																	
60.	भोपाल	764																
	महाराष्ट्र																	
61.	अकोला	646																
62.	मुंबई	600																
63.	औरंगाबाद	624																
64.	मुंबई(सबअर्बन)																	
65.	अमरावती	644																
66.	बुलढाणा	648																
67.	परभणी	626																
68.	वासिम	647																
69.	हिंगोली	627																
	मणिपुर																	
70.	तमेंगलांग	156																
71.	उखरुल	154																
72.	चुड़ाचांदपुर	152																
73.	चंदेल	157																
74.	सेनापति	150																
75.	थौबल	153																
	मेघालय																	
76.	पश्चिम गरो हिल्स	24																
	मिज़ोरम																	

77.	लोंगत्लाई	898																
78.	मामित	033																
	उड़ीसा																	
79.	गजपति	161																
	पांडीचेरी																	
80.	माहे	994																
	राजस्थान																	
81.	गंगानगर	518																
	सिक्किम																	
82.	नार्थ	198																
83.	साउथ	199																
84.	ईस्ट	196																
85.	वेस्ट	197																
	तमिलनाडु																	
86.	कन्याकुमारी	936																
	उत्तर प्रदेश																	
87.	रामपुर	280																
88.	बिजनोर	276																
89.	मुरादाबाद	278																
90.	सहारनपुर	274																
91.	मुज़फ्फरनगर	272																
92.	मेरठ	270																
93.	बहराइच	244																
94.	बलरामपुर	241																
95.	गाज़ियाबाद	269																
96.	पीलीभीत	249																
97.	बरेली	250																
98.	सिद्धार्थनगर	257																
99.	श्रावस्ती	246																

100.	ज्योतिबा फुले नगर	279																
101.	बागपत	275																
102.	बुलंदशहर	268																
103.	शाहजंहानपुर	252																
104.	बुदाऊ	267																
105.	बाराबंकी	202																
106.	खेरी	247																
107.	लखनऊ	200																
	उत्तरांचल																	
108.	हरिद्वार	277																
109.	उद्यमसिंह नगर	219																
	पश्चिम बंगाल																	
110.	मुर्शिदाबाद	126																
111.	मालदाह	128																
112.	उत्तर दीनाजपुर	130																
113.	विरभूम	122																
114.	साउथ 24-परगणा	103																
115.	नाडिया	124																
116.	दक्षिण दीनाजपुर	131																
117.	हावड़ा	110																
118.	नॉर्थ-24 परगणा	101																
119.	कोछ बिहार	136																
120.	कोलकाता	100																
121.	बर्दधमन	120																
	कुल																	

बैंक का नाम --   बैंक कूट --------------------------

भाग 'बी' - देश के सभी जिलों के लिए

ं.			ईसाई (10)		मुस्लिम (20)		बुध्दिस्ट (30)		सिख (40)		झोरास्ट्रियन (50)		कुल 'ए'		अन्य 'बी' (90)		कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सभी जिलों में अग्रिम "ग" (99)	
			खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1.	हरियाणा	34																
2.	हिमाचल प्रदेश	46																
3.	जम्मू और कश्मीर	44																
4.	पंजाब	30																
5.	राजस्थान	50																
6.	चंडीगढ़	39																
7.	दिल्ली	29																
8.	असम	1																
9.	मणिपूर	15																
10.	मेघालय	4																
11.	नागालैंड	14																
12.	त्रिपूरा	18																
13.	अरूणाचल प्रदेश	9																
14.	मिज़ोरम	3																
15.	सिक्किम	17																
16.	बिहार	6																
17.	उड़ीसा	16																
18.	पश्चिम बंगाल	10																
19.	अंदमान और	19																

	निकोबार समूह																	
20.	मध्य प्रदेश	70																
21.	उत्तर प्रदेश	20																
22.	गुजरात	54																
23.	महाराष्ट्र	60																
24.	गोवा	68																
25.	दमन और दीव	67																
26.	दादरा और नगर हवेली	69																
27.	आंध्र प्रदेश	80																
28.	कर्नाटक	84																
29.	केरल	96																
30.	तमिल नाडू	90																
31.	पांडिचेरी	99																
32.	लक्षद्वीप	89																
	अखिल भारतीय																	

<u>**अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की सूची**</u>

(पैराग्राफ 3.2, 5.3 और 7.1 के अनुसार)

अनुबंध II

29 राज्यों में 25 प्रतिशत और उससे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की सूची (उन छः राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ अल्पसंख्यक अधिक संख्या में है)

Sl. No.	राज्य	क्र. संख्या	जिला	कुल आबादी	मुस्लिम आबादी	कुल आबादी में मुस्लिम का %	ईसाई आबादी	कुल आबादी में ईसाई का %	सिख आबादी	कुल आबादी में सिख का %	बुद्धिस्ट आबादी	कुल आबादी में बुद्धिस्ट का %	कुल अल्पसंख्यक आबादी	अल्पसंख्यकों की आबादी का %
I	Ii	Iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	X	xi	xii	xiii	xiv	Xv
1	अंदमान (2)	1	निकोबार	42068	2131	5	28145	67	508	1	40	0	30,824	73
	अंदमान	2	अंदमान	314084	27134	9	49033	16	1079	0	381	0	77627	25
2	आंध्र प्रदेश (1)	3	हैदराबाद	3829753	1576583	41	92915	2	10951	0	832	0	1681281	44
3	अरुणाचल प्रदेश (7)	4	तवांग	38924	225	1	308	1	420	1	29083	75	30036	77
	अरुणाचल प्रदेश	7	चंगलांग	125422	1163	1	21931	17	47	0	42744	34	65885	53
	अरुणाचल प्रदेश	6	तिराप	100326	756	1	50199	50	99	0	675	1	51729	52
	अरुणाचल प्रदेश	7	वेस्ट कामेंग	74599	1159	2	2462	3	426	1	33104	44	37151	50
	अरुणाचल प्रदेश	8	पापुम परे*	122003	5318	4	36574	30	263	0	3330	3	45485	37
	अरुणाचल प्रदेश	9	इस्ट कामेंग	57179	384	1	14550	25	46	0	705	1	15685	27
	अरुणाचल प्रदेश	10	लोअर सुबनसिरी	98244	830	1	24078	25	52	0	284	0	25244	26
4	असम (13)	11	धुब्री	1637344	1216455	74	12477	1	159	0	292	0	1229383	75
	असम	12	गोआल पाडा	822035	441516	54	64662	8	108	0	178	0	506464	62
	असम	13	बरपेटा	1647201	977943	59	5267	0	258	0	194	0	983662	60
	असम	14	हैलाकांडी	542872	312849	58	5424	1	9	0	589	0	318871	59
	असम	15	करीमगंज	1007976	527214	52	8746	1	128	0	346	0	536434	53
	असम	16	नगांव	2314629	1180267	51	21473	1	3055	0	1058	0	1205853	52
	असम	17	मरीगांव	776256	369398	48	759	0	69	0	84	0	370310	48

	असम	18	दरंग	1504320	534658	36	97306	6	520	0	1871	0	634355	42
	असम	19	बोंगईगांव	904835	348573	39	18728	2	512	0	330	0	368143	41
	असम	20	कचार	1444921	522051	36	31306	2	628	0	742	0	554727	38
	असम	21	कोक्राझार	905764	184441	20	124270	14	133	0	1574	0	310418	34
	असम	22	नॉर्थ कचार	188079	4662	2	50183	27	220	0	857	0	55922	30
	असम	23	कामरुप	2522324	625002	25	44257	2	4797	0	1709	0	675765	27
5	बिहार (4)	24	किशनगंज	1296348	876105	68	2856	0	492	0	398	0	879851	68
	बिहार	25	कटिहार	2392638	1017495	43	4994	0	2225	0	84	0	1024798	43
	बिहार	26	अररिया	2158608	887972	41	1251	0	469	0	1091	0	890783	41
	बिहार	27	पुर्निया	2543942	935239	37	4392	0	1394	0	77	0	941102	37
6	दिल्ली (2)	28	सेंट्रल*	646385	193137	30	4628	1	17126	3	383	0	215274	33
	दिल्ली	29	नॉर्थ * ईस्ट	1768061	481607	27	7640	0	18505	1	4802	0	512554	29
7	गोवा (1)	30	साऊथ गोवा	589095	48827	8	223178	38	572	0	174	0	272751	46
8	हरियाणा (2)	31	गुड़गांव	1660289	617918	37	3258	0	6672	0	838	0	628686	38
	हरियाणा	32	सिरसा	1116649	7056	1	1648	0	3E+05	27	306	0	311952	28
9	हिमाचल प्रदेश(2)	33	लाहुल और स्पिटी	33224	134	0	84	0	34	0	19535	59	19787	60
	हिमाचल प्रदेश	34	किन्नौर	78334	306	0	324	0	256	0	19405	25	20291	26
10	झारखंड (3)	35	पकौर*	701664	227069	32	41099	6	456	0	52	0	268676	38
	झारखंड	36	साहिबगं]ा	927770	290060	31	58723	6	290	0	40	0	349113	38
	झारखंड	37	गुमला	1346767	59752	4	425107	32	511	0	245	0	485615	36
11	कर्नाटक (2)	38	दक्षिण कन्नड	1897730	418904	22	164982	9	352	0	513	0	584751	31
	कर्नाटक	39	बिदर	1502373	295762	20	43150	3	654	0	122083	8	461649	31
12	केरल (14)	40	मल्लापुरम	3625471	2484576	69	80650	2	221	0	387	0	2565834	71
	केरल	41	एर्नाकुलम	3105798	451764	15	1E+06	39	708	0	220	0	1657163	53
	केरल	42	कोट्टायम	1953646	116686	6	871371	45	43	0	77	0	988177	51
	केरल	43	इडुक्की	1129221	81222	7	480108	43	125	0	59	0	561514	50
	केरल	44	वयनाड	780619	209758	27	175495	22	17	0	42	0	385312	49
	केरल	45	पठानमथिट्टा	1234016	56457	5	481602	39	81	0	64	0	538204	44
	केरल	46	कोझिकोड	2879131	1078750	37	127468	4	83	0	56	0	1206357	42

	केरल	47	कसारागोड़	1204078	413063	34	84891	7	85	0	42	0	498081	41
	केरल	48	त्रिचूर	2974232	488697	16	720152	24	130	0	163	0	1209142	41
	केरल	49	कन्नूर	2408956	665648	28	261019	11	312	0	118	0	927097	38
	केरल	50	कोल्लम	2585208	474071	18	423745	16	198	0	214	0	898228	35
	केरल	51	तिरुवनंतपुरम	3234356	431512	13	595563	18	335	0	270	0	1027680	32
	केरल	52	पलाक्काड	2617482	703596	27	109249	4	232	0	113	0	813190	31
	केरल	53	अलप्पुझा	2109160	208042	10	441643	21	192	0	202	0	650079	31
13	मध्य प्रदेश (1)	54	भोपाल	1843510	421365	23	20429	1	11340	1	20561	1	473695	26
14	महाराष्ट्र (9)	55	अकोला	1630239	296272	18	3494	0	1201	0	293184	18	594151	36
	महाराष्ट्र	56	मुंबई	3338031	734484	22	106240	3	16330	0	161417	5	1018471	31
	महाराष्ट्र	57	औरंगाबाद	2897013	569516	20	15558	1	4452	0	247222	9	836748	29
	महाराष्ट्र	58	मुंबई (सबअर्बन)*	8640419	1488987	17	340166	4	53271	1	464354	5	2346778	27
	महाराष्ट्र	59	अमरावती	2607160	347250	13	7315	0	2940	0	350403	13	707908	27
	महाराष्ट्र	60	बुलढ़ाणा	2232480	285387	13	2545	0	1501	0	306503	14	595936	27
	महाराष्ट्र	61	परभणी	1527715	243935	16	1368	0	789	0	153231	10	399323	26
	महाराष्ट्र	62	वाशिम*	1020216	111863	11	1211	0	500	0	150580	15	264154	26
	महाराष्ट्र	63	हिंगोली*	987160	103199	10	468	0	474	0	147927	15	252068	26
15	मणिपुर (6)	64	तमेंगलेंग	111499	1431	1	105791	95	67	0	7	0	107296	96
	मणिपुर	65	उखरुल	140778	881	1	133966	95	96	0	84	0	135027	96
	मणिपुर	66	चुराचंदपुर	227905	2573	1	213186	94	125	0	47	0	215931	95
	मणिपुर	67	चंदेल	118327	2318	2	109128	92	125	0	60	0	111631	94
	मणिपुर	68	सेनापति (3 सब डिविज़न छोड़कर)	156513	637	0	122724	78	154	0	1281	1	124796	80
	मणिपुर	69	थोऊबल	364140	86849	24	5136	1	102	0	54	0	92141	25
16	उड़िसा (1)	70	गजपति*	518837	1623	0	173663	33	2	0	1972	0	177260	34
17	पांडिचेरी (1)	71	माहे	36828	11411	31	816	2	0	0	1	0	12228	33
18	राजस्थान (1)	72	गंगानगर	1789423	42442	2	1661	0	4E+05	25	971	0	486483	27
19	सिक्किम	73	नॉर्थ	41030	391	1	1623	4	146	0	2260	55	24763	60

	(4)										3			
	सिक्किम	74	साऊथ	131525	1700	1	12757	10	57	0	3110 9	24	45623	35
	सिक्किम	75	ईस्ट	245040	4789	2	14502	6	958	0	6472 9	26	84978	35
	सिक्किम	76	वेस्ट	123256	813	1	7233	6	15	0	3360 1	27	41662	34
20	तमिलनाडु (1)	77	कन्याकुमा री	1676034	70360	4	745406	44	31	0	26	0	815823	49
21	उत्तर प्रदेश(15)	78	रामपुर	1923739	945277	49	7297	0	6171 7	3	2227	0	101651 8	53
	उत्तर प्रदेश	79	मुरादाबाद	3810983	1735381	46	8832	0	8610	0	2436	0	175525 9	46
	उत्तर प्रदेश	80	बिजनौर	3131619	1306329	42	3411	0	4872 5	2	3376	0	136184 1	43
	उत्तर प्रदेश	81	सहारनपुर	2896863	1132919	39	5039	0	2069 3	1	3645	0	116229 6	40
	उत्तर प्रदेश	82	ज्योतिबा फुले नगर*	1499068	590308	39	4206	0	5578	0	248	0	600340	40
	उत्तर प्रदेश	83	मुजफ्फर नगर	3543362	1349629	38	3303	0	1899 8	1	2356	0	137428 6	39
	उत्तर प्रदेश	84	बलरामपुर*	1682350	617675	37	1285	0	1334	0	2950	0	623244	37
	उत्तर प्रदेश	85	बहराइच	2381072	829361	35	2196	0	7623	0	3296	0	842476	35
	उत्तर प्रदेश	86	बरेली	3618589	1226386	34	9269	0	2897 1	1	7333	0	127195 9	35
	उत्तर प्रदेश	87	मेरठ	2997361	975715	33	7420	0	2643 4	1	2769	0	101233 8	34
	उत्तर प्रदेश	88	सिद्धार्थ नगर	2040085	600336	29	1280	0	1280	0	7930	0	610826	30
	उत्तर प्रदेश	89	पीलीभीत	1645183	390773	24	1787	0	7547 9	5	1828	0	469867	29
	उत्तर प्रदेश	90	श्रावस्ति*	1176391	301117	26	642	0	828	0	596	0	303183	26
	उत्तर प्रदेश	91	बागपत	1163991	287871	25	1096	0	1032	0	322	0	290321	25
	उत्तर प्रदेश	92	गाजियाबाद	3290586	782915	24	8809	0	2101 7	1	3298	0	816039	25
22	उत्तरांचल (2)	93	हरिद्वार	1447187	478274	33	3048	0	1732 6	1	674	0	499322	35
	उत्तरांचल	94	उधमसिंह नगर*	1235614	254407	21	3880	0	1E+0 5	11	1439	0	401188	32
23	पश्चिम बंगाल (9)	95	मुरशिदाबा द	5866569	3735380	64	13723	0	402	0	244	0	374974 9	64

	पश्चिम बंगाल	96	मालदहा	3290468	1636171	50	8388	0	283	0	164	0	1645006	50
	पश्चिम बंगाल	97	उत्तर दिजानपुर	2441794	1156503	47	13172	1	252	0	335	0	1170262	48
	पश्चिम बंगाल	98	बिरभुम	3015422	1057861	35	7382	0	347	0	222	0	1065812	35
	पश्चिम बंगाल	99	साऊथ 24 परगना	6906689	2295967	33	52835	1	1680	0	1799	0	2352281	34
	पश्चिम बंगाल	100	नादिया	4604827	1170282	25	29563	1	699	0	635	0	1201179	26
	पश्चिम बंगाल	101	दक्षिण दिजानपुर*	1503178	361047	24	22039	1	215	0	175	0	383476	26
	पश्चिम बंगाल	102	हावडा	4273099	1044383	24	6284	0	3779	0	1085	0	1055531	25
	पश्चिम बंगाल	103	नॉर्थ 24 परगना	8934286	2164058	24	20138	0	10679	0	5839	0	2200714	25

अल्पसंख्यक सकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचालित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है

क्रम सं.	राज्य	क्रम सं.	चुने गए जिले
1.	जम्मू और कश्मीर	1.	लेह (लड़ाख)
2.	मेघालय	2.	वेस्ट गारो टिल्स
3.	मिज़ोरम	3.	लांगत्लाई
	मिज़ोरम	4.	मामिट
4.	बिहार	5.	सीमाबढ़ी
	बिहार	6.	दरभंगा
	बिहार	7.	पश्चिम चंपारन
5.	झारखंड	8.	रांची
6.	कर्नाटक	9.	गुलबर्गा
7.	उत्तर प्रदेश	10.	बुलंदशहर
	उत्तर प्रदेश	11.	शाहजहांपुर
	उत्तर प्रदेश	12.	बदायूं
	उत्तर प्रदेश	13.	बराबंगी
	उत्तर प्रदेश	14.	खेरी
	उत्तर प्रदेश	15.	लखन
8.	पश्चिम बंगाल	16.	कूच बिहार
	पश्चिम बंगाल	17.	कोलकाता
	पश्चिम बंगाल	18.	बर्धमान

अनुबंध III

------------को समाप्त तिमाही के लिए समस्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (चुने गए जिलों में) की तुलना में विनिर्दिष्ट अल्प संख्यक समुदायों को दिए गए प्राथमिकताप्राप्त अग्रिम दर्शानेवाला विवरण (पैराग्राफ 5.3 के अनुसार)

<u>जिले का नाम</u> -----------------

(करोड़ रु. में)

समुदाय का नाम	खातों की संख्या		बकाया राशि	
	पिछली तिमाही	चालू तिमाही	पिछली तिमाही	चालू तिमाही
क. अल्पसंख्यक समुदाय 1. इसाई 2. मुस्लिम 3. बुध्दिस्ट 4. सिख 5. झोरास्ट्रियन				
कुल (1 से 5)				
ख. अन्य				
ग. पहचाने गये जिलों में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (क+ख)				
घ. (ग) की तुलना में (क) का हिस्सा प्रतिशत में				

नोट : (1) वास्तविक खातों की संख्या
(2) करोड़ रु. में बकाया राशि

अनुबंध IV

<u>अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराना</u>

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.4/पीएस. 160-86/87	24.7.86	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
2.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.97/पीएस. 160-86/87	29.7.86	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
3.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.1378/पीएस. 160-86/87	9.01.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
4.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.1563/पीएस. 160-86/87	11.02.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
5.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.75/पीएस.160-86/87	08.04.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
6.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.14/पीएस.160-87/88	31.07.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
7.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.374/पीएस. 160-87/88	31.07.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
8.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.45/पीएस.160-87/88	16.10.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
9.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.55/पीएस.160-87/88	2.11.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
10.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.56/पीएस.160-87/88	2.11.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
11.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.649/पीएस. 160-88/89	27.09.88	प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित 15 सूत्री निवेश
12.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.46/पीएस.160-88/89	17.11.88	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
13.	ग्राआऋवि.सं.स्टैट.बीसी.66/स्टैट.20 (सीबी)/88-89	21.01.89	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ

14.	ग्राआऋवि.सं.एलबीएस.बीसी.121/एलबीसी.34/88-89	07.06.89	राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों और जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति और राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठकों में अजा/अजजा निगमों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
15.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.37/सी. 453(यू)89-90	03.10.89	विभेदक ब्याज दर योजना - राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय/विकास निगमों के माध्यम से अग्रिम देना
16.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.124/ पीएस. 160-89/90	26.06.90	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
17.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.80/पीएस.160-92/93	10.03.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - तिमाही विवरण
18.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.1934/पीएस. 160-92À93	22.06.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
19.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.17/पीएस.160-93/94	10.8.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - कर्मचारियों को प्रशिक्षण
20.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.32/पीएस.160-93/94	6.9.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - संशोधित फार्मेट
21.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.50/पीएस.160-93/94	13.10.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - संशोधित फार्मेट
22.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.83/पीएस.160-93/94	07.01.94	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि - तिमाही विवरण
23.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.166/ पीएस.160-93/94	15.06.94	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - 41 चयनित जिले
24.	एलबीएस.बीसी.29/02.03.01-94/95	31.08.94	राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य स्तीय बैंकर समिति में राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
25.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.79/ 09.10.01/ 94-95	09.12.94	विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों की सूची -बुध्दिस्ट के स्थान पर-नव बुध्दिस्टों को शामिल करना
26.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.33/ 09.10.01/ 96-97	07.09.96	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - तिमाही विवरण

27.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.43/ 09.10.01/ 96-97	10.10.96	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि अनुदेशों का सार-संकलन
28.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.108/09.12.01/ 96-97	28.02.97	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एमएमडीएफसी)
29.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.13/09.10.01/2001-02	13.08.01	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - मूल्यांकन अध्ययन
30.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.1074/ 09.10.01/ 2001-02	21.01.02	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि बढ़ाना
31.	ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.62/ 09.10.01/ 2001-02	04.02.02	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि बढ़ाना
32.	ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.22/ 09.10.01/ 2006-07	01.09.2006	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम
33.	ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.83/ 09.10.01/ 2006-07	27.04.07	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों(जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिज़ोरम,नागालैंड और लक्षद्विप)को छोड़कर जहां अल्प संख्यक मेजोरिटी में हैं, उन 103 अल्पसंख्यक सकेंद्रित जिलों की सूची जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है।
34.	ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 13/09.10.01/ 2007-08	16.07.07	अल्पसंख्यक सकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचालित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है